an>

Title: Need for CBI to enquire in the matter related to shelter home in Bihar where girls were kept illegally.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, बिना किसी राजनीति के मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी घटना बिहार में घटी है, जिसे मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। यह घटना बालगृह, बालिका अल्पवास गृह, रिमांड होम, महिला कैदी वार्ड, निजी एवं सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में घटी है। यह रिपोर्ट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एक निजी संस्थान ने उजागर की है कि 47 लड़कियों के साथ लगातार तीन सालों से मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बलात्कार होते रहे। वहां सात साल की बच्ची तो प्रेग्नेंट है ही तथा साथ में वहां इस तरह से चार लड़कियां प्रेग्नेंट हैं, पीएमसीएच ने इसकी पुष्टि की है।

माननीय अध्यक्ष: सात साल की लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो गई।

श्री राजेश रंजन : सात साल की लड़की की भी पुष्टि हो गई है। वहां सात साल की लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, जिनमें तीन लड़कियां प्रेग्नेंट हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जब यह घटना घटी तो पूरे बिहार के महिला चेतना विकास मंडल, मधेपुरा, ग्राम स्वराज सेवा संस्थान, कैमूर, ओम साई फाउंडेशन, मुजफ्फरपुर, सेवा कुटीर, गया, एकार्ड, पटना, पनाह, मुंगेर, डीआरडीओ, गया आदि इन 22 जिलों के बाल गृह के बारे में आया। जब रिपोर्ट आई तो उसमें ब्रजेश ठाकुर सहित जो वहां संस्था चलाता है।

माननीय अध्यक्ष: किसी का नाम मत लीजिए।

श्री राजेश रंजन: जो वहां संस्था चला रहा है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। उसमें ये सभी लोग और पदाधिकारी मिले हुए हैं। वहां सीतामढ़ी में कल्याण पदाधिकारी को गोली मार दी गई, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद परसों कोर्ट ने ऑर्डर किया है।

वहां बच्ची ने रिपोर्ट दायर की कि जब वहां बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा था तो उस समय वहां की महिलाएं हमें सुईं देती थी और हमें नशा करके काउंसलिंग के नाम पर ले जाया जाता था। हमें पटना, मुजफ्फरपुर और बड़ी-बड़ी जगहों पर पदाधिकारियों और नेताओं के घर ले जाते थे और हमारे साथ यौन शोषण किया जाता था। जिस लड़की ने इसका विरोध किया, मुजफ्फरपुर में उसको मारकर लीची के वृक्ष के नीचे दफना दिया गया। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने उसे पूरा उखाड़ा जाए। जिस लड़की ने रिपोर्ट दर्ज की थी, उसे वहां से मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी में जिस पर सबसे बड़ा आरोप है, उसने उस लड़की को आज से चार दिन पहले मरवा दिया। लड़की को बाल गृह से कुट्टी-कुट्टी काटकर फेंक दिया गया। नौ लड़कियां भागलपुर से गायब हैं।

मैडम, यह दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कांड है। मैं गृह मंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि इसमें सी.बी.आई. इंक्वायरी बहुत आवश्यक है। क्योंकि यह 42 लड़कियों के यौन शोषण का मामला है।

इसी तरह से फतुहा में जो शेफाली स्कूल है, वहां पर उस स्कूल के बेटे ने बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार किया और एक मासूम लड़के अभिमन्यु को मार दिया, जो उसके बेटे को देख रहे थे। मैं इस केस में सी.बी.आई. इंक्वायरी की मांग करता हूं और प्राइवेट स्कूल, हॉस्टल, बालिका गृह, कस्तूरबा हॉस्टल आदि इन सभी जगहों पर कैसे बैन लगे, कैसे लड़कियां आएंगी-जाएंगी, वहां बच्चियां कैसे रहेंगी, ये देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है।

केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी आवश्यक है और मैं चाहूंगा कि पूरा सदन बिहार की इतनी बड़ी घटना के बारे में सोचे कि वहां लगातार मासूम बच्चियों के साथ जो हो रहा है, उसका संज्ञान ले और भारत सरकार इसकी सीबीआई की इंक्वायरी कराए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री बलभद्र माझी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं डा.कुलमणि सामल को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप इसको सपोर्ट करिये। डा. करण सिंह जी, आप बोलिए।